आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0आर0 वाद सं0 22/2017–18

मनोज रजक वगैरह –बनाम– मानिकचन्द रजक वगैरह

अपीलार्थीः– 1. मनोज रजक, 2. धर्मेन्द्र रजक, पेसरान–सुबोध रजक, पोता–गोविन्द धोवा, ग्राम–केन्दुआ, अंचल–पतना, थाना–रांगा, जिला–साहेबगंज।

उत्तरवादीः– 1. मानिकचन्द रजक, पिता–स्व0 भोला रजक, 2. कार्तिक रजक, पिता–स्व0 निधान रजक, सा0–विशनपुर, थाना–रांगा, जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

प्रस्तुत अपील वाद विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के आर0ई0 वाद सं0 33/2012–13 (मानिकचन्द रजक वगै0 –बनाम– दमदरिया अंसारी एवं अन्य पाँच) में दिनांक 20.03.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 07.11.2017 को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 अनुपूरक प्रावधान की धारा 57 के तहत दायर किया गया एवं लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 के तहत अपील की स्वीकृति हेतु आवेदन दाखिल, जिसे स्वीकृत किया जाता है।

अपील अभ्यावेदन के आधार पर इस न्यायालय के ज्ञापांक 172/डी0बी0, दिनांक 10.11.2017 से विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल से आर0ई वाद सं0 33/2012–13 (मानिकचन्द्र रजक वगै0 –बनाम– दमदरिया अंसारी वगै0) से संबंधित मूल अभिलेख की माँग की गई तथा उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया गया। उक्त के अनुपालन में निम्न न्यायालय द्वारा मूल अभिलेख प्राप्त।

अपील अभ्यावेदन में दर्शाया गया है कि मौजा केन्दुआ नं0–52, जमाबंदी नं0–57, दाग नं0–159, 601, 850 एवं 848 कुल रकवा 06 बीघा 16 कट्ठा 14 धुर जमीन को वैध स्वामी और दखलकार अपीलार्थीगण है। उत्तरवादीगण उक्त भूमि का हकदार नहीं हैं। लेकिन फिर भी निम्न न्यायालय में विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा दिनांक 20.03.2017 को आर0ई0 वाद सं0 33/2012–13 (मानिकचन्द्र रजक वगै0 –बनाम– दमदरिया अंसारी एवं अन्य) में उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है।

अपीलार्थीगण ने प्रश्नगत भूमि का विवरण विस्तार से प्रस्तुत करते हुए बतलाया है, जो निम्न प्रकार हैः–

दाग नं0–159, रकवा 02 बीघा 05 कट्ठा 07 धूर
दाग नं0–601, रकवा 01 बीघा 04 कट्ठा 04 धूर
दाग नं0–850, रकवा 03 बीघा 07 कट्ठा 03 धूर
दाग नं0–848, रकवा 00 बीघा 01 कट्ठा 16 धूर

कुल रकवा 06 बीघा 18 कट्ठा 10 धूर भूमि खतियानी रैयत गांगू धोवा, पिता–देवू धोवा, बंधू धोवा और गोविन्द धोवा, पेसरान–बाबुराम धोवा के नाम से अंतिम सर्वे खतियान में अंकित है। अपीलार्थीगण ने अपील आवेदन में अपने पूर्वजों के वंशावली का कुर्सीनामा अंकित करते हुए उल्लेख किये है कि गांगू धोवा, पिता–देवू धोवा खतियानी रैयत नावल्द मृत है। द्वितीय खतियानी रैयत बंधू धोवा, पिता–बाबुराम धोवा जमाबंदी रैयत नावल्द मृत है और गोविन्द धोवा, पिता–बाबुराम धोवा जमाबंदी रैयत को एक पुत्री चिंता देवी जिनकी शादी

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही
	सुबोध रजक से हुई। उनसे दो पुत्र हुए मनोज रजक और धर्मेन्द्र रजक, जो इस वाद में अपीलार्थी सं0 01 एवं 02 है। गांगू धोवा और बंधू धोवा के नावल्द मृत होने के पश्चात गोविन्द धोवा के दखल में प्रश्नगत उक्त सम्पूर्ण भूमि सर्वे में आ गयी। उनके मरनोपरान्त उनकी पुत्री चिंता देवी अपने पति सुबोध रजक के साथ भोग दखल में रहने लगी। पति सुबोध रजक के मरनोपरान्त अपने पीछे पत्नी चिंता देवी एवं दो पुत्र क्रमशः मनोज रजक एवं धर्मेन्द्र रजक अपीलार्थीगण को छोड़ गये। इसके बाद अपीलार्थीगण अपनी विधवा माता के साथ जमाबंदी रैयत गांगू धोवा, बंधु धोवा, गोविन्द धोवा और अपने पिता सुबोध रजक के मरनोपरान्त शांतिपूर्ण भोग दखल में निवास करते हुए खतियानी रैयत के नाम से मार्फती मालगुजारी लगातार सरकार को अदा कर रहे है। गत सर्वे के समय अपीलार्थी के गैर मौजुदगी में उत्तरवादी गलत तरीके से तसदीक कैम्प में खेसरा पर्चा में चिंता देवी, पिता–गोविन्द धोवा का नाम हटवाकर जमाबंदी नं0–57 के स्थान पर जमाबंदी नं0–27 मौजा केन्दुआ जमाबंदी रैयत दुःखु रजक, भोला रजक अंकित करवा लिया। इसकी जानकारी होने के बाद दुःखु रजक और भोला रजक का नाम हटवाकर अपीलार्थीगण की माता चिंता देवी द्वारा अपना नाम अंकित करवाने हेतु मिस वाद सं0 372/2013 विपक्षी किशुन रजक एवं अन्य के विरूद्ध सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में दायर किया गया। सुनवाई उपरान्त चिंता देवी के द्वारा दायर आवेदन दिनांक 29.12.2016 को स्वीकृत करते हुए पूर्व में अंकित जमाबंदी रैयत दुःखु रजक और भोला रजक का नाम विलोपित कर आवेदिका चिंता देवी, पति–स्व0 सुबोध रजक, पिता–स्व0 गोवन्दि रजक का नाम मौजा केन्दुआ थाना नं0–52 हाल खाता सं0–27/57 के कॉलम–04 पर अंकित करने हेतु आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी के द्वारा आगे प्रतर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थीगण का नाना और चिंता देवी के पिता–गोविन्द रजक चौकीदार था, जिनकी मृत्यु के पश्चात अनुकम्पा के आधार पर चिंता देवी का पति–सुबोध रजक का केन्दुआ में चौकीदार के पद पर नियुक्ति हुई। सुबोध रजक चौकीदार के मरनोपरान्त उनके स्थान पर अनुकम्पा के आधार पर मनोज रजक अपीलार्थी सं0–01 को नियुक्ति केन्दुआ ग्राम के चौकीदार पद पर हुई जो वर्तमान में सेवारत है। प्रमाण स्वरूप इनके द्वारा रांगा थाना से निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न किया गया। अपीलार्थीगण के द्वारा अपील अभ्यावेदन में यह भी दर्शाया गया है कि प्रश्नगत भूमि विवाद को लेकर उत्तरवादी के विरूद्ध T.S (स्वत्व वाद) सं0 32/2014 चल रहा है। इसके उपरांत दिनांक 20.03.2017 को आर0ई0 वाद सं0 33/2012–13 में विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा गलत तरीके से उत्तरवादीगण के पक्ष में आदेश पारित कर दिये, जो अपास्त करने योग्य है। इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा दावा किया गया कि अपीलार्थीगण उक्त भूमि का वैध स्वामित्व व दखलकार है। उत्तरवादीगण बाहरी व्यक्ति है, जिसका उक्त भूमि पर किसी प्रकार से कोई स्वामित्व अधिकार वो दखल नहीं है। इसलिए अपीलार्थीगण के द्वारा निम्न न्यायालय में पारित आदेश अपास्त करने का अनुरोध किया गया। उत्तरवादी (प्रथम पक्ष) के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रतर्क है कि मौजा केन्दुआ जमाबंदी नं0–57, दाग नं0–159, 160, 850 एवं 848 कुल रकवा 06 बीघा 18 कट्ठा 10 धूर भूमि गांगू धोवा, पिता–देवू धोवा एवं बंधु धोवा, गोविन्द धोवा दोनों पिता–बाबुराम धोवा के नाम से खतियान में दर्ज है। खतियानी रैयत उत्तरवादी का परदादा है। गांगू धोवा, पिता–देवू धोवा जमाबंदी रैयत के दो पुत्र बिनू धोवा एवं किनू धोवा थे। बिनू धोवा को दो पुत्र भोला रजक एवं दुःखु रजक। भोला रजक को दो पुत्र मानिकचन्द्र रजक उत्तरवादी सं0–01 एवं उत्तम रजक है। दुःखु रजक को भी दो पुत्र राम रजक कृष्ण रजक हुए। गागूं धोवा का दूसरा पुत्र किनू धोवा को एक पुत्र निधान रजक जिनको एक पुत्र कार्तिक रजक उत्तरवादी सं0–02 है।	

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 3	आदेश पर की गई कार्यवाही
	दूसरी ओर बाबुराम धोवा को दो पुत्र हुए बंधु धोवा और गोविन्द धोवा जमाबंदी रैयत जो नावल्द मृत है। इस प्रकार वंशावली दर्शाते हुए उत्तरवादी सं0–01 एवं 02 जमाबंदी रैयत गांगू धोवा का परपोता होने के कारण अपने पूर्वज की भूमि पर अपना हक होने का दावा किये है। यह भी दावा प्रस्तुत किये है कि उत्तरवादी वंशावली के आधार पर उक्त भूमि का पूर्ण स्वामित्व अधिकार व दखलकार है। अपने प्रतर्क में कहा गया कि अपीलार्थी सं0 04, 05 एवं 06 उक्त भूमि पर नाजायज रूप से दावा करके कब्जा बनाये हुए है। अपीलार्थी सं0 04 रांगा थाना में चौकीदार हैं तथा जमीन खाली करने हेतु कहने पर अपने पद का धौंस देते हैं। उक्त भूमि अहस्तांतरणीय है जिसे उत्तरवादीगण अथवा उनके पूर्वजों द्वारा किसी के पास बिक्री नहीं किया गया है। हाल सर्वे में उत्तरवादीगण के पिता का नाम दर्ज है। कार्रवाई वाली भूमि उत्तरवादी मानिकचन्द्र रजक एवं कार्तिक रजक के पूर्वजों के नाम से खतियान में दर्ज है। उत्तरवादी का आगे तर्क है कि अपीलार्थी का दावा है कि वे उत्तरवादी के वंशज से है जो निराधार एवं सत्य से परे है। वास्तविकता यह है कि मनोज रजक ग्राम विशनपुर थाना रांगा का निवासी है और खतियानी रैयत तीनकौड़ी धोवा का परपोता है। उत्तरवादी के खानदान से अपीलार्थी सं0–04, 05, एवं 06 का दूर–दूर तक कोई संबंध नहीं है। अपीलार्थीगण प्रश्नांकित भूमि पर अवैध दखल कब्जा में है। इसलिए अपीलार्थी सं0–04, 05 एवं 06 को उक्त भूमि से उच्छेद करने हेतु निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया। इस न्यायालय के ज्ञापांक 45/डी0बी0, दिनांक 26.03.2018 के अनुपालन में अंचल अधिकारी, पतना से पत्रांक 298/रा0, दिनांक 12.07.2018 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में अपीलार्थीगण को ग्राम केन्दुआ के जमाबंदी नं0–57 का खतियानी रैयत गांगू धोवा, पे0–देबू धोवा वो बंधु धोवा वो गोविन्द धोवा, पे0–बाबुराम धोवा से कोई संबंध नहीं रहने संबंधी प्रतिवेदन से प्रतिवेदित किया गया। अंचल अधिकारी, पतना के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि अपीलार्थी मनोज रजक एवं धर्मेन्द्र रजक, पे0–सुबोध रजक, ग्राम–केन्दुआ के जमाबंदी नं0–57, दाग नं0–159 रकवा 02 बीघा 05 कट्ठा 07 धूर एवं दाग नं0–601 रकवा 01 बीघा 04 कट्ठा 04 धूर पर खेती करते है तथा दाग नं0–848 रकवा 01 कट्ठा 16 धुर भूमि पर मकान बनाए है। अंचल अधिकारी, पतना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि में उत्तरवादीगण मानिकचन्द्र रजक,पे0–भोला रजक,वो कार्तिक रजक, पे0–निधान रजक, ग्राम–विशनपुर, पो0–विशनपुर, थाना–रांगा,अंचल–पतना के निवासी हैं एवं मौजा केन्दुआ के जमाबंदी नं0–57 के खतियानी रैयत गांगू धोवा वल्द देबू धोवा वो बंधु धोवा वो गोविन्द धोवा वल्द बाबुराम धोवा का परपोता होने का संबंध दर्शाया गया हैं तथा बंधु धोवा वो गोविन्द धोवा को नावल्द मृत उल्लेख किया गया हैं। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख आर0ई0 वाद सं0–33/2012–13 का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के द्वारा प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत का वंशज रहने का दावा प्रस्तुत किया गया। अंचल अधिकारी, पतना के पत्रांक 298/रा0, दिनांक 12.07.2018 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि अपीलार्थी मनोज रजक व धर्मेन्द्र रजक पे0–सुबोध रजक, ग्राम–केन्दुआ, पो0–विशनपुर, थाना–रांगा, अंचल–पतना निवासी है। इनका ग्राम केन्दुआ जमाबंदी नं0–57 के खतियानी रैयत गांगू धाोवा, पे0–देबू धोवा व बंधु धोवा व गोविन्द धोवा, पे0–बाबुराम धोवा से कोई संबंध नहीं है। यह भी प्रतिवेदित है कि उपरोक्त अपीलार्थीगण ग्राम केन्दुआ के जमाबंदी नं0–57, दाग नं0–159 रकवा 02 बीघा 05 कट्ठा 07 धूर एवं दाग नं0–601, रकवा 01 बीघा 04 कट्ठा 04 धूर में खेती करते है तथा दाग नं0–848 रकवा 01 कट्ठा 16 धूर में मकान बनाए है। दूसरी तरफ जाँच प्रतिवेदन में उत्तरवादी मानिकचन्द्र रजक, पे0–भोला रजक व कार्तिक रजक, पे0–निधान रजक, ग्राम–विशनपुर, पो0–विशनपुर, थाना–रांगा, अंचल–पतना को उपरोक्त पता का निवासी बतलाया गया एवं मौजा केन्दुआ के जमाबंदी नं0–57 के	

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 4	आदेश पर की गई कार्यवाही

खतियानी रैयत गांगू धोवा वल्द देबू धोवा वो बंधु धोवा व गोविन्द धोवा वल्द बाबुराम धोवा का वैध उत्तराधिकारी है एवं उत्तरवादीगण खतियानी रैयत गांगू धोवा का परपोता बतलाया गया। खतियानी रैयत बंधु धोवा व गोविन्द धोवा वल्द बाबुराम धोवा नावल्द मृत बतलाया गया।

प्रश्नगत भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी, पतना के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत मौजा केन्दुआ दामिन–ई–कोह क्षेत्र है तथा भूमि अहस्तांतरणीय वो अविक्रयशील है।

अंचल अधिकारी, पतना के प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण प्रश्नगत भूमि पर अवैध दखलकार है। उत्तरवादी प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत का परपोता एवं उत्तराधिकारी है।

अपीलार्थीगण के द्वारा अभ्यावेदन में अंकित किया गया है कि Title Suit No. 32/2014 लंबित रहने के उपरांत विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा आर0ई0 वाद सं0 33/2012–13 में दिनांक 20.03.2017 को उत्तरवादीगण के पक्ष में गलत आदेश पारित किया है। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आर0ई0 वाद सं0 33/2012–13 दिनांक 20.02.2013 को दायर किया गया है जबकि स्वत्व वाद सं0 32/2014 दिनांक 20.02.2014 को दायर किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त स्पष्ट प्रतीत होता है कि विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा आर0ई0 वाद सं0 33/2012–13 (मानिकचन्द्र रजक वगैरह –बनाम– दमदारिया अंसारी एवं अन्य) में अपीलार्थीगण के विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–42 के अधीन दिनांक 20.03.2017 को पारित उच्छेदी आदेश न्याय संगत है, जिसे यथावत् (Upheld) रखते हुए अपील खारिज किया जाता है। पारित आदेश से उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को अवगत कराया जाय। आदेश की एक प्रति विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल को मूल अभिलेख के साथ प्रेषित की जाय। इसी आशय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
साहेबगंज।

उपायुक्त
साहेबगंज।

Digitally signed by RAMNIWAS YADAV
Date: 2022.11.23 13:25:50 +05:30
Location: 192.168.29.209